न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 05/2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

मंछाराम, कालुराम पुत्र चमनाराम जी, ओखीबेन, नर्मदाबेन, मीरा बेन पुत्री चमनाराम जी, जाति– माली, निवासी– सुलीवा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

(1) पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 सितम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम सुलीवा, पटवार मण्ड़ल रोहुआ के खसरा संख्या 54 रकबा 6.13 बीघा किस्म खा.ख. भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटिती भूमि रकबा 6.13 बीघा का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सुलीवा, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 54 रकबा 6.13 बीघा भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। अप्रार्थीगण/आवंटिती ने आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी/आवंटिती को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण का परिवार भूमिहीन होने से अप्रार्थीगण की माता श्रीमती देवू बेन पत्नी चमनाजी को उक्त कृषि भूमि का आज से करीब 20 वर्ष पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा सुपर्द कर नियमानुसार आवंटिती देवूबेन पत्नी चमनाराम जी माली के नाम से राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित भूमि बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई। आवंटिती देवूबेन पत्नी चमनाराम जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थीगण, स्वर्गीय देवूबेन के उत्तराधिकारी पुत्री व पुत्रियां है तथा आवंटन के बाद से अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काब्जि होने व काश्त करने से कब्जे का सत्यापन होने से अप्रार्थीगण के नाम से उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह कि उक्त भूमि का आवंटन होने के बाद से आवंटिती श्रीमती देवूबेन व उनके परिवारजनों का कब्जा—काश्त लगातार चला आ रहा है तथा आज भी अप्रार्थीगण को मौके पर काबिज होकर बरसाती खेती करते आ रहे है, जिसकी जानकारी अडौस—पडौस के खातेदारों व राजस्व कार्मिकों को भलीभांति है, जिसके समर्थन में जवाब के साथ अडौस—पडौस के खातेदारों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है, जिनमें अडौस—पडौस के खातेदारों ने अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करना व मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त होना अंकित किया है। यह कि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का लगान भी नियमानुसार अदा किया है। आवंटन के समय उक्त भूमि उबड खाबड होने से अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में काफी रकम खर्च कर उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण के आय का एकमात्र जरिया उक्त कृषि भूमि पर काश्त से होने वाली उपज से ही है। अप्रार्थीगण व उनके माता श्रीमती देवू बेन पत्नी चमनाराम जी द्वारा प्रतिवर्ष उक्त भूमि पर बरसाती खेती की जाती रही है, जिसकी पुष्टि संवत 2069 की खसरा गिरदावरी में अंकित राई की फसल के अंकन से होती है। यह कि गत कुछ वर्षो में कम बारिश की वजह से फसल नही हो सकी है, इस कारण से गिरदावरी में काश्त दर्ज नही हो पाई है। वैसे भी गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज करने का दायित्व पटवारी हल्का का है, यदि पटवारी हल्का द्वारा गिरदावरी में काश्त दर्ज नही की है तो इस हेतु अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्त किया जाना कानूनन न्यायसंगत नही है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2020 DNJ(Rev.) 460 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवंटिती ने भूमि को समतल किया और वह भूमि के कब्जे में है। भूमि काश्त करने की साक्ष्य के रुप में पडौसी काश्तकारों ने शपथ पत्र पेश किये है तो आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2021(2)DNJ(REV) 975 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि आवंटन को निरस्त कराने हेतु 20 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है और रेकर्ड में भूमि आवंटिती के नाम दर्ज हो गई है व भूमि के आवंटन में कोई अनियमितता नही हुई है तो आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। चूंकि इस प्रकरण में भी उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थीगण ने समतल व उपजाउ बनाया है व काश्त कर रहे है, जिसकी पुष्टि पडौसी काश्तकारों के शपथ पत्र से होती है तथा आवंटन हुये 20 वर्ष से अधिक समय हो गया है व आवंटन करने में कोई अनियमितता नही हुई है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम सुलीवा, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 54 रकबा 6.13 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही

गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है।" प्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि "अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है।"

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नही है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सुलीवा, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 54 रकबा 6.13 बीघा किस्म खाल खद्दर का आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 सितम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:56 IST
Reason: SelfAttested